महत्वपूर्ण एवं खास

गर्भवती महिला को डायल 112 की मिली सहायता

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ राइनो को दिनांक 30.11.2019 के सुबह 9:25 बजे मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर ग्राम झर्रागांव रवाना किया गया। जहां रहने वाली श्रीमती सुखबाई लक्ष्मे पति धनसराम लक्ष्में प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। पीड़िता को आरक्षक महेश्वर जाटवर थाना सारंगढ़ द्वारा ईआरवी वाहन में बिठाकर सीएससी सारंगढ़ में ले जाकर भर्ती कराया गया है।

बाईक से गिरकर घायल हुए युवक को डायल 112 टीम ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। सरिया राइनो को दिनांक 30.11.2019 के दोपहर 13:37 बजे रोड एक्सीडेंट का इवेंट मिला। इवेंट पर आरक्षक रविलाल भोई राइनो वाहन से घटनास्थल नवागांव पहुंचा जहां मोटरसाइकिल का चालक सुरेंद्र साह पिता कुबेर साह उम्र 46 वर्ष निवासी चिचौली जो मोटर सायकल पर बरमकेला आते समय रास्ते में कुत्ते के आ जाने के कारण मोटरसाइकिल अनबैलेंस होकर गिर गया था। आहत को राइनो के आरक्षक द्वारा ईआरवी वाहन से सीएचसी बरमकेला में भर्ती कराया गया है।

रायगढ़-बड़नेरा एवं अम्बिकापुर-बड़नेरा के बीच स्पेशल ट्रेन की सुविधा

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ एवं मुम्बई के बीच गाड़ियों में भारी भीड़ एवं रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायगढ़-बड़नेरा एवं अम्बिकापुर-बड़नेरा के बीच एक-एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन रायगढ़ से 06 दिसम्बर को 08295 नम्बर के साथ एवं बडनेरा से 09 दिसम्बर को 08296 नम्बर के साथ चलेगी। यह गाड़ी 02 एसएलआर, 15 स्लीपर सहित कुल 17 कोच के साथ चलेगी। इसी प्रकार अम्बिकापुर से 06 दिसम्बर को 08297 नम्बर के साथ एवं बडनेरा से 09 दिसम्बर को 08298 नम्बर के साथ चलेगी। इस गाड़ी में 02 एस एल आर, 05 स्लीपर एवं 10 सामान्य सहित कुल 17 कोच है।

घर में अवैध बिक्री हेतु रखी महुआ शराब जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर स्टाफ द्वारा दिनांक 29/11/19 को मुखबिर सूचना पर ग्राम बडे भंडार में रहने वाले सुशील कुमार ऊर्फ निहारू सिदार पिता बृषिकेशन सिदार उम्र 23 वर्ष के घर अवैध बिक्री के लिये शराब रखे होने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के घर से प्लास्टिक थैला में 01-01 लीटर वाली 12 प्लास्टिक पाउच में भरी करीब 12 लीटर हाथ भठ्ठी का कच्ची महुआ शराब कीमती 1200 रूपये जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना पुसौर में धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निरंक

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 हेतु पार्षद पद के लिए आज नाम-निर्देशन पत्र के लिए निक्षेप राशि पुसौर में 01, खरसिया में 5, धरमजयगढ़ में 01, घरघोड़ा में 8, रायगढ़ में 12 जमा की गई। आज नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निरंक है।

लिफ्ट लेकर शॉर्टकट रास्ता बताने वाले दो युवकों ने लूटी सोल्ड बाइक

» तमनार पुलिस ने चंद घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पत्थलगांव अन्तर्गत ग्राम चंद्रपुर में रहने वाला दिनेश धनवार पिता मंगलसाय धनवार उम्र 29 वर्ष दिनांक 29.11.2019 अपने स्लृष्ठ मोटरसायकल बजाज ष्टञ्ज 100 में चंद्रपुर (पत्थलगांव) से रायगढ आ रहा था। पूंजीपथरा के पास उसे दो लोग मिले जो अपना नाम नीलाम्बर राठिया एवं जीवन लाल यादव बताये और जान पहचान बनाने लगे। उसके बाद तीनों ग्राम तुमीडीह में बैठकर शराब पीये और दोनों लडके दिनेश धनवार को रायगढ़ जाने का शॉर्टकट रास्ता बतायेंगे कहकर मोटरसाइकिल में बैठकर तमनार की ओर लाये और शाम करीब 07/00 बजे ग्राम देवगांव तालाब के पास दोनों दिनेश को मोटर सायकल से उतार कर उससे मारपीट कर उसके मोटर सायकल को लूटकर भाग गये। घटना के बारे में दिनेश ने अपनी दीदी और ग्राम देवगांव के सरपंच व अन्य गांववालों को बताया तथा आज दिनांक 30.11.2019 को थाना तमनार में घटना के संबंध में आवेदन पेश किया। आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 258/19 धारा 394, 34 आईपीसी दर्ज कर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनवकांत सिंह एवं स्टाफ द्वारा आरोपी (1) नीलाम्बर राठिया पिता तुलाराम राठिया उम्र 26 वर्ष साकिन टिभाउडीह थाना पूंजीपथरा (2) जीवन लाल यादव पिता नारद यादव उम्र 25 वर्ष साकिन हर्राडीह थाना पूंजीपथरा को गिरफ्तार कर उनसे लूटी हुई बाईक बरामद कर दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

हमने यह ठाना है डेंगू को यहां से भगाना है, के नारे के साथ छात्र-छात्राओं ने निकाली जन-जागरूकता रैली

» डेंगू के लक्षण एवं बचाव संबंधी दी गई जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशन एवं सीएचएमओ डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में आज प्रातः10 बजे छात्र-छात्राओं ने बालमंदिर स्कूल से डेंगू जन-जागरूकता रैली निकाली। रैली को बालमंदिर के प्राचार्य एस.आर.कातोरे ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रैली बालमंदिर परिसर सत्तीगुड़ी चौक से होते हुए कोतरा रोड, बैकुण्ठपुर, गौशाला पारा से घड़ी चौक होते हुए पुनः बालमंदिर पहुंची। रैली में बच्चों ने नारे लगाते हुए कहा कि हमने यह ठाना है, डेंगू को भगाना है, जन-जन को जगाना है। इस मौके पर डेंगू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में पाम्पलेट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को टेमीफॉस दवा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू से बचाव के लिए अपने घरों के आसपास रूके हुए पानी में यदि मच्छर के लार्वा हो तो टेमीफॉस की दवा छिड़काव करें। इसी तरह कूलर, फ्रीज, गमलों, मवेशियों के पीने के लिए रखे कोटना में पानी जमा न होनें दें। दिन को भी सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि डेंगू (एडिस)मच्छर दिन को काटते है। रैली में श्रीमती उमा महंत, दिनेश यादव, विजय सिंह एवं बाल मंदिर के शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल थे।

सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात व नगदी रूपये की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर अन्तर्गत ग्राम दर्री में रहने वाले बिजली विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी त्रिभुवन लाल यादव उम्र 64 वर्ष द्वारा दिनांक 30.11.19 को थाना भूपदेवपुर में अपने घर पर हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि पावर प्लांट कोरबा में नौकरी पर था। कोरबा एवं ग्राम दर्री दोनो जगह में घर है। सेवानिवृत्त होने के बाद गांव दर्री में पूरे परिवार के साथ रहता है तथा एक लड़की एवं एक लड़का कोरबा में रहते है कि दिनांक 19-11-2019 को अपने पत्नि बडे लड़का एवं बहू तथा मंझली लडकी को साथ लेकर कोरबा बड़े लड़की का तबियत खराब होने से घर में ताला लगाकर कोरबा गये हुये थे। कोरबा से दिनांक 29.11.19 को वापस गांव दर्री आये तो मेन दरवाजा के ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर देखे कि अंदर का बेडरूम का ताला तथा कमरा का अलमारी का लाकर टूटा हुआ था एवं सामान कपडे वगैरह बिखरा पडा हुआ था। अलमारी अंदर रखे एक नग सोने का मंगलसूत्र, एक जोडी चांदी का पायल, एक नग चांदी का माला (संकरी) एवं नगदी रकम 15000 रू जुमला 34600 रूपये नही था। कोई अज्ञात चोर दिनांक 19.11.19 से 29.11.19 के दरम्यानी रात्रि चोरी कर ले गया था, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 195/19 धारा 457,380 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

शराबी पति ने पत्नी की गला घोटकर की थी हत्या

» घटना को फांसी लगाने का दिया गया था स्वरूप » आरोपी पत्नीहंता गिरफ्तार, रिमांड बाद जेल दाखिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में दिनांक 28.11.19 को चरखापारा यादव मोहल्ला में रहने वाले दुकालुराम यादव उम्र 43 साल द्वारा चौकी रैरूमा में मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर सूचना दिया कि इसके पडोस में रहने वाला श्रीकांत यादव की पत्नी गीता यादव (उम्र 25 साल) जिसकी शादी हुए लगभग 06 साल हो रहा है। दिनांक 28.11.2019 के प्रातः 5.30 से 6.00 बजे के मध्य अपने मकान के कमरे अंदर म्यार में रस्सी से फंसाकर फांसी लगाकर फौत हो गई है।

सूचना पर चौकी रैरूमाखुर्द में मर्ग क्रमांक 102/2019 धारा 174 जा0फौ0 कायम कर मृतिका नवविवाहिता होने से मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी धरमजयगढ के द्वारा किया गया। मृतिका के पी.एम.रिपोर्ट तथा मृतिका के वारिशानों के कथन जांच में यह बात सामने आया कि श्रीकांत यादव उर्फ मुन्ना की शादी मृतिका गीता यादव के साथ वर्ष 2013 में सामाजिक रिति रिवाज से ग्राम सिथरा में सम्पन्न हुई थी। दोनों के संसर्ग से एक पुत्री 06 साल एवं एक लडका 04 साल का है। शादी के एक वर्ष तक श्रीकांत यादव उर्फ मुन्ना अपनी पत्नी मृतिका गीता यादव को अच्छे से रखा था। उसके बाद शराब पीकर मारपीट कर घर से भगा देता था जिस पर दो तीन बार सामाजिक बैठक होने पर श्रीकांत अपनी पत्नी मृतिका को अपने साथ अपने घर पर रखा था दिनांक 27/11/2019 के रात्रि में सब्जी नही बनाई हो कहकर लडाई झगडा व मारपीट कर हत्या कर फांसी का स्वरूप दिया था। मृतिका गीता के शव का पीएम रिपोर्ट में मृतिका

गीता यादव का फौत गला घोटने से होना लेख किया गया है। मर्ग जांच पर आरोपी श्रीकांत यादव उर्फ मुन्ना पिता वृन्दावन यादव उम्र 26 साल निवासी चरखापारा यादव मोहल्ला पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द थाना धरमजयगढ के विरूद्ध आज दिनांक 30.11.19 को थाना धरमजयगढ़ में अप.क्र. 238/19 धारा 302 भादवि दर्ज कर आरोपी को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

निर्वाचन व्यय संपरीक्षक करेंगे निर्वाचन व्यय की जांच

» नामांकन से मतदान के बीच प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की दो बार होगी जांच

» निर्वाचन व्यय संपरीक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2019-20 हेतु पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा का प्रावधान करने के लिए एक पृथक व्यवस्था के तहत 'निर्वाचन व्यय संपरीक्षक' की नियुक्ति की गई है। जिनकी प्रशिक्षण बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। प्रशिक्षण में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अनिल पटेल एवं प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय शाखा द्वारा सभी संपरीक्षकों को निर्वाचन व्यय लेखा संपरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल करने के समय निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए व्यय रजिस्टर प्रदान किया जाएगा। जिसमें अभ्यर्थी नामांकन से परिणाम घोषित होने तक की तिथि के खर्चो का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करेगा। निर्वाचन व्यय संपरीक्षक का मुख्य कार्य प्रत्याशी के व्यय रजिस्टर की जांच करना तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय रायगढ़ में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जिन प्रत्याशियों द्वारा उक्त व्यय रजिस्टर को संपरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, उन्हें रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाना होगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की नामांकन तिथि से मतदान के पूर्व दो बार जांच की जाएगी। प्रथम जांच प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के चार दिन के भीतर कर रिपोर्ट जमा करना होगा तथा द्वितीय लेखा परीक्षण कार्य मतदान दिवस के तीन दिन पहले तक पूरा करना होगा। उन्होंने प्रत्याशियों द्वारा दी गई जानकारी के परीक्षण के लिए निर्देश देते हुए बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव में खर्च अपने नगरीय निकाय हेतु निर्धारित व्यय सीमा के अंदर ही करना होगा। पार्षद पद के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपए, नगर पालिका परिषद हेतु 1.50 लाख रुपए, नगर पालिक निगम के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में 3 लाख रुपए व्यय सीमा है। वहीं 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर व्यय सीमा 5 लाख रुपए है। 10 हजार से अधिक की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से करना होगा तथा लेखा परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा खर्चो के बिल व्हाउचर की स्व-प्रमाणित दो छायाप्रति के साथ ओरिजनल व्हाउचर दिखाना होगा। साथ ही संपरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से प्राप्त होने वाले पेड न्यूज के खर्चो को भी प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि निर्वाचन व्यय के लेखा संपरीक्षण हेतु रायगढ़ नगर निगम के लिए 6 टीम, खरसिया नगर पालिका के लिए 3 तथा जिले के शेष नगरीय निकायों के लिए कुल 14 टीम सहित 23 व्यय संपरीक्षकों की टीम बनायी गई है। प्रत्येक संपरीक्षक 8 वार्डों के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का लेखा परीक्षण करेंगे।

आयुष्मान भारत (स्मार्ट कार्ड) पंजीकृत शासकीय अस्पतालों से ही बनवायें

» जतन केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा, समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क बनाये जा रहे स्मार्ट कार्ड

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जिले के जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुछ अनाधिकृत लोगों द्वारा गांव-गांव जाकर 100 से 200 रुपये लेकर आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड/गोल्डन कार्ड) बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। ज्ञात हो कि आयुष्मान भारत कार्ड (ई-कार्ड/गोल्डन कार्ड) वैधानिक रुप से रेलिगेयर इंश्योरेंश कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा जिला रायगढ़ के शासकीय संस्थायें जैसे-जतन केन्द्र (जिला पंचायत के सामने), उप स्वास्थ्य केन्द्र रामभाठा, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं समस्त पंजीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क रुप से पात्र हितग्राहियों का बनाया जाता है। इसके अलावा यदि किसी मरीज का गोल्डन कार्ड(ई-कार्ड) नहीं बन पाया है, तो उनको ईलाज के समय घबराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि, आयुष्मान भारत पंजीकृत समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भी रेलिगेयर इंश्योरेंश कम्पनी के आयुष्मान मित्रों के द्वारा हितग्राही का उपचार के पूर्व उनका गोल्डन कार्ड(ई-कार्ड) बना कर ही स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है।

जिले में नान-आधार (बिना अंगूठे के निशान) से किसी भी हितग्राही का बीआईएस(ई-कार्ड/गोल्डन कार्ड)नहीं किया जा सकता है, यदि अत्यंत आवश्यक हो तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में 7 नवम्बर 2019 को आदेश भी जारी किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्त जिले वासियों को अपील करते हुए कहा है कि आयुष्मान भारत कार्ड (ई-कार्ड/गोल्डन कार्ड) पंजीकृत शासकीय अस्पतालों से ही बनवायें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी, समस्या समाधान, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 104 पर सम्पर्क कर सकते है।

विकासखण्ड के मास्टर ट्रेनर को दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के सुचारू संचालन के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विकास खण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य मतदान सामग्री प्राप्त करना, मतदान के एक दिन पूर्व की तैयारी साथ ही मतदान केन्द्रों में आवश्यक नोटिस एवं साईन बोर्ड लगाना, मतदान की गोपनीयता बनाये रखने संबंधी, नगर पालिका निर्वाचन नियम पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1 मतदान अधिकारी 2 और मतदान अधिकारी 3 के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल और अनिल गुप्ता ने विस्तार से निर्वाचन संबंधी जानकारी दी।

प्रशिक्षण में बताया गया की पीठासीन अधिकारी को जिस मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किया जाएं वहां नियत तिथि पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उनका प्रमुख कर्तव्य के साथ दायित्व भी है। मतदान के पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदान सामग्री रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक, स्थान एवं समय पर उपलब्ध करायी जाएगी साथ ही पीठासीन अधिकारी को मतदान के एक दिन पूर्व की तैयारी के साथ आवश्यक नोटिस एवं साईन बोर्ड लगाना 200 मीटर के वृत्त क्षेत्र के भीतर किसी भी अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान अधिकारी एक प्रयुक्त निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा मतदान केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक मतदाता की पहचान के लिए दायित्व होगा साथ ही मतदान केन्द्रों पर उपस्थित पुरुष तथा महिला मतदाताओं की कुल संख्या का अलग अलग विवरण रखेगा।

मतदान अधिकारी 2 अमिट स्याही मतपत्र तथा मतदाता पर्ची का प्रभारी रहेगा। मतदाता की पहचान सत्यापित होने के बाद वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा।

प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मतदान समाप्ति के बाद अमिट स्याही लगायेगा और मतपेटी की सीलिंग करने के बारे में भी मास्टर ट्रेनर को बताया गया।

समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित

» आचार संहिता के दौरान रिटर्निंग आफिसर्स स्पष्ट अभिमत के साथ भेजें कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने नगरीय निकाय चुनाव के सफल संचालन हेतु सभी रिटर्निंग आफिसर्स को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु चुनावी गतिविधियां प्रारंभ होने से समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किन्तु कई कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में अवकाश स्वीकृति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे है, जिससे मतदान कार्य प्रभावित होने की संभावना बन रही है। अतः सभी रिटर्निंग आफिसर अपने अधीनस्थों के अवकाश संबंधी प्रकरणों पर स्पष्ट अभिमत सहित अवकाश नस्ती समय-सीमा में जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिससे उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480